Date: / /

(2) यह मानवीय क्रियाकलापों की देन है।

पी० डी० शर्मा का कहना है। प्रदुषण जल, हवा मृदा आदि के भौतिक रसायनिक या जैविक गुणों का अवाछनीय परिवर्तन है। जो महसूस किया जाता है।

(1) पर्यावरण प्रदुषण जल-हवा, मृदा आदि के गुणो के अवाछित परिवर्तन है।

(2) इसे महसूस किया जाता है।

ए० पी० कौशिक– के शब्दो मे प्रदुषण वायु जल एवं स्थल की भौतिक रसायनिक और जैविक विशेषताओ का वह अवाछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य और उसके लिए लाभ दायक जन्तुओ- पौधो औद्योगिक संस्थाओ तथा दुसरे कच्चे माल इत्यादि को किसी भी रूप मे हानि पहुंचाता है।

(1) पर्यावरण का निर्माण वायु जल स्थल एवं अन्य तत्वो की संतुलन से होता है।

(2) यह स्थिति व्यक्तियो जीवो व जन्तुओ के लिए हानिकारक है।

पर्यावरण प्रदुषण के कारण–

सतत् विकास की प्रक्रिया प्रदुषण का परिणाम प्रदुषण है। मानव के अनियमित क्रियाकलापों औद्योगीकरण व नगरीकरण आदि के कारण पर्यावरण प्रदुषित होता है। कल करखानो वाहनो लकड़ी व सिगरेट के द्वारा निकला धुआँ वायु के प्रदुषित कर रहा है।

(1) बढता औद्योगीकरण।– सभ्यता के विकास के साथ औद्योगीकरण मे तेजी से वृद्धि हुई है। लेकिन दुसरी ओर कल करखानो का धुआँ जल मे औद्योगिकी विसर्जन उद्योगो मे शोर स्त्राव

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

रसायनो का उपयोग आदि पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है।

(1) पर्यावरण प्रदूषण का स्वयं उत्पन्न होता है ये ऐसे कारण या कारक होते है। जिन पर मानव का अपना कोई नियंत्रण नही रखता है यदि मानव का इन पर कोई नियंत्रण नही होता है।

(2) कृषि कार्य अथवा पशुओ के मल मूत्र इत्यादि से पर्यावरण मे प्रदूषण की उत्पत्ति होती है

(3) नगरो मे गंदी बस्तियों के कारण पर्यावरण मे निम्न जीवन इसके कारण पारिस्थितिक पर्यावरण मे असंतुलन तथा मानव पर्यावरण मे निम्न जीवन उत्पन्न होते है।

(4) समय समय पर अणु बमो का जो परीक्षण किया जाता है। उनमे वायुमण्डल दूषित होता है।

(5) कृषि के अन्तर्गत कीटनाशक औषधियों के प्रयोग के कारण भी पर्यावरण अत्यधिक प्रदूषित होता रहता है।

प्रदूषक

ऐसे सभी पदार्थ जो औद्योगिकी के उपजात के रूप मे ईंधन के दहन के द्वारा अथवा मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त पदार्थों के अवशेष के रूप मे उत्पन्न होते है। –

प्रदूषण जैसे — धूल- धुआँ -कुहरा रसायन

जैसे — CO_2 - SO_2, No, NH, H_2, Pd, इत्यादि

अथवा अन्य कारक

जैसे — ऊष्मा शोर ताप, आर्द्रता इत्यादि

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

जिसमें मनुष्यों के लक्ष्यो पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
संक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार के रसायनिक पदार्थ अथवा कभी कभी अजैव जगत मे भौतिक परिवर्तन ही प्रदुषक का कार्य करता है। रसायनिक पदार्थों मे दो प्रकार के प्रदुषक होते है।
परिभाषा — पर्यावरण प्रदुषण को करने का प्रयत्न अनेक विद्वानो ने किया है। इनमें उल्लेखनिय है। शॅयम हैरी (शॅयम हैरी) ने अपनी पुस्तक मे पर्यावरण प्रदुषण के विषय मे उल्लेख किया है। पर्यावरण प्रदुषण जो मानवीय समस्याओ की प्रगति के तीने बाने तक पहुचाता है।
पर्यावरणीय प्रदुषण की रोकथाम के सामान्य उपाय या सुझाव —
(1) पर्यावरण प्रदुषण की रोकथाम व पर्यावरण प्रदुषण की समस्या करने के लिए वृक्षारोपण पर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए इसके लिए हमे 33% भू भाग पर वन लगाना पड़ेगा। पहाड़ी क्षेत्रों मे 66% भू भाग पर पेड़ तो हमे जरूर काटे किन्तु लगाऐ
शिफ्टिंग कल्टीवेशन — प्रथा बन्द करना चाहिए क्योंकि इससे वनो की सफाई होती है।
(2) पहाड़ों पर वनाच्छादित करके वहा जल संचय करना चाहिए। मैदानी भागो मे जगह जगह पर तलाब व पोखरे खुदवाकर जल का संरक्षण होना चाहिए। राजस्थान जैसे सुखाग्रस्त राज्य मे तो जल संचय के लिए तलावो इत्यादि

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

(3) अंन्तर्राष्ट्रिय स्तर पर भी 1972 मे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना की गयी यह विभिन्न क्षेत्रो की पर्यावरणीय समस्याओं के लिए अनु देशो की सरकारो का ध्यान आकर्षित करता है। सन 1961 मे स्थापित विश्व वन्य जीव कोष -

(4) देश मे 1 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह प्रति वर्ष मनाया जाता है 1972 मे बाँध परियोजना चालू की गयी आज देश मे लगभग 240 वन विहार तथा राष्ट्रीय उधान है।

(5) भारत सरकार की तरफ से भी वन संरक्षण अधिनियम 1990 जल प्रदुषण नियंत्रण और बचाव अधिनियम 1974 वायु नियंत्रण व बचाव अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया जा रहा है।

प्राचार्य
मारा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

अपराध

आदिकाल से ही प्रत्येक समाज में यह किसी न किसी रूप मे विद्यमान रहा है। लेकिन आज के समाज मे इसने जटिल और गम्भीर रूप धारण कर लिया है। आधुनिक समय में अपराध ने समाज व समूह के लिए खतरा पैदा कर दिया है। दूसरे समाज मे उसे ऐसा माना जाता है

अपराध का अर्थ एवं परिभाषाएँ

अपराध की कानूनी परिभाषाएँ

पी. ~~seeky~~ seeky. टप्पन– ने अपराध की परिभाषा इस प्रकार दी है। अपराध एक सामाजिक कार्य का अनावरण है। जो दण्ड कानुन का उलधंन करता है जो बिना किसी सफाई या ~~...~~ औचित्य के किया जाता है। जिसके करने पर राज्य महा अपराध या साधारण अपराध मानकर दण्ड प्रदान करता है।

एच. जिरोम– के अनुसार अपराध कानुनी तौर पर वर्णित और साभिप्राय! कार्य है। जिसे सामाजिक हितो पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।

(1) कानून द्वारा वर्णित हो (2) वह सभी अभिप्राय है
(3) वह समाज के लिए हानिकारक है।
(4) उसके लिए दण्ड निर्धारित हो

डी. एस. हैकरवाल– के शब्दो मे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपराध कानुन का उलंघनन हैकरवाल ने इस कथन से स्पष्ट होता है वैज्ञानिक दृष्टि से व्यक्ति का वही कार्य अपराध हो सकता है। जो कानुन के द्वारा निषिद्ध किया है।

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

जे. वी. गिलिन एवं जे. एल. गिलिन। का कहना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपराध किसी देश के कानून के विरुद्ध कार्य है।

एम. ए. इलियट एवं एफ. ई. मेरिल के अनुसार अपराध कानून के द्वारा वर्जित कार्य है। कानून द्वारा वर्जित कार्य को करना अपराध है।

अपराध की समाजशास्त्रीय परिभाषाएँ

एम. ए. इलियट एवं एफ. ई. मेरिल – के अनुसार अपराध को समाज विरोधी व्यवहार के रूप मे परिभाषित किया जा सकता है। जिसको समूह अस्वीकार करता है। तथा उसके लिए यह दण्ड प्रदान करता है।

बी. एस. हैकरवाल – के शब्दो मे सामाजिक दृष्टि से अपराध व्यक्ति का ऐसा व्यवहार है। जो मानवीय सम्बधो की व्यवस्था मे बाधा पहुचाती है।

एच. ई. बार्स एवं एम. के टीटर्स – का कहना है। अपराध एक ऐसा कार्य है जिसे समूह पर्याप्त रूप से खतरनाक समझता है तथा उसके प्रति समूह की प्रतिक्रिया निन्दा के रूप मे होने के साथ ही अपराधी को ऐसे कार्य से रोकने का प्रयत्न किया जाता है।

आर. ब्राउन – के शब्दो मे" अपराध उस व्यवहार का उल्लंघन है। जो दण्ड-विधान को निष्पादित करता है।

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

शास्त्रीय सिद्धान्त

अपराध के करण की व्याख्या से सम्बधित शास्त्रीय सिद्धान्त का विकास 19 सदी के उत्तरार्द्ध इंग्लैण्ड मे हुआ वैज्ञानिक क्षेत्र मे उपयोग करने का श्रेय जे. बेन्थम को है। जिन कार्यो से उसे आनन्द या सुख की प्राप्ती होती है। और जिन कार्यो से उसे कष्ट होता है। उससे बचने का प्रयास करता है। मनुष्य का व्यवहार प्रकार कार्यो के उत्पन्न आनन्द और कष्ट के तुलनात्मक अनुमान से निर्धारित होता है। तो व्यक्ति उसे करने मे संकोच नही करता है।

सी. बैकेरिया — ने बेयम के सुखवादी सिद्धान्त को दण्ड व्यवस्था को निर्धारित मे प्रवेश करने के लिए सलाह दी है। अपराध निरोध के लिए यह आवश्यक है। अपराध से जो सुख प्राप्त होता है। मनुष्य अपराध इसलिए करता है। क्योकि उसमे उसमे आनन्द मिलते है।

भौगोलिक सिद्धान्त

इसके अनुसार भौगोलिक परिस्थितियां — जलवायु तापमान आद्रता और भूमि की बनावट आदि — का अपराधो की मात्रा एवं प्रकार के साथ गहरा सम्बध है। इसके समर्थको मे क्वेटलेट - ग्वेरी - मान्टेस्क्यु - डेक्सटर बैकेसन और क्रोपाटकिन आदि

(1) क्वेटलेट एव ग्वेरी ने अपराध का ताप सम्बन्धी सिद्धान्त दिया उनके अनुसार गर्मियो मे व्यक्तियो के विरुद्ध अपराध और सर्दियो मे सम्पति के विरुद्ध अधिक है मान्टेस्क्यु का कहना है। कि ज्यो ज्यो हम भूमध्य रेखा के पास जाते है। अपराध बढ़ते जाते है। ध्रुवा की ओर शराब पीकर किये जाने वाले अपराधो की संख्या अधिक है

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

डेक्सटर - ने अपने अध्ययन के अधार पर कहा कि आद्रता न बढ़ने पर हिंसा के अपराध घटते है। वायु दबाव के साथ हिंसा के कारण अपराध बढ़ते है। गर्मियो मे लड़ाई झगड़े व आक्रमण के अपराध अधिक होते है।
लेकिसन ने पाया कि सम्पत्ति के अपराधो की अधिकतम संख्या दिसम्बर मे थी उसके बाद जनवरी नवम्बर और फरवरी मे थी

प्ररुपवादी सिद्धान्त

① इटैलियन सम्प्रदाय — इस सम्प्रदाय के अनुसार अपराधी जन्मजात होते है इसके मुख्य प्रेणा सी. लाम्ब्रोसो उनका कहना है। कि प्रत्येक अपराधी जन्म से ही एक विशिष्ट प्रकार का व्यक्ति होती है।

② मानसिक परीक्षण सम्बधी सम्प्रदाय मानसिक परिक्षण करने के उपरान्त अपराध और मानसिक दुर्बलता का सम्बंध स्थापित किया इसके समर्थक गोडार्ड के अनुसार मानसिक दुर्बलता अपराध का कारण है क्योंकि मन्द बुद्धि वाला व्यक्ति अपराध की सम्भीरता है।

③ मनोविश्लेषण सम्प्रदाय - समर्थकोने फ्रायड के सिद्धान्त को अपराध के कारण के रुप मे मान्यता दी
जैसे - साइकोसिस - मिरगी - नैतिक पागलपन भावात्मक बाधाएँ तथा अन्य मनोवैज्ञानिक विकार अपराध के कारण है।

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

आर्थिक सिद्धान्त

इस सिद्धान्त के अनुसार अपराधी आर्थिक पर्यावरण की उपज है। जो कि उसके आदर्श और लक्ष्य करता है। इनके अन्तर्गत निम्न तथ्यो की व्याख्या है।

① गरीबी! फेमासारी - ने 1894 मे अपराध और गरीबी के बीच को दर्शाया है। इटली की कुलसंख्या 85 से 90% अपराधी गरीबी मे से थे इसलिए सदरलैण्ड और अन्य ने भी इनका समर्थन किया है।

② व्यापार चक्र - सेलिन ने अध्ययन का निष्कर्ष है कि मन्दी के दिनो मे गम्भीर अपराधो की दर बढ जाती है तथा समृद्धि के कारणो यह दर घट जाती है।

③ बेरोजगारी - अमेरिकी लेखक स्लेस्टर ने अपने अध्ययन मे 50.5% बेरोजगार व्यक्तियो की अपराधी पाया अंग्रेज लेखक हाबहाउस और ब्राकेन ने अपने अध्ययन मे 53% बेरोजगार व्यक्तियो को अपराधी पाया है।

④ व्यवसाय - व्यवसाय व रोजगार मे लगे व्यक्ति भी अपराध करते है। सफेद पोस अपराध रोजगार मे लगे व्यक्तियो का होता है

बहुकारकीय सिद्धान्त

इसके समर्थको ने विलियम हीले - सिरिल वर्ट शेल्डन और ग्लयुक आदि आते है।

विलियम हीले - ने अमेरिका मे 1915 मे 1000 बाल अपराधियो के अध्ययन के आधार पर 138 कारको के कारणो के रूप मे पहचानना

सिरिल वर्ट - ने 1925 मे 500 बाल अपराधियो इंग्लैण्ड मे इसी प्रकार की जाँच की 170 कारक खोजे और उसे 9 श्रेणी मे विभक्त किया

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

बाल अपराध

बाल अपराध वर्तमान समय की गम्भीर समस्या है। लेकिन वर्तमान समय मे नगरीय और औद्योगिक परिवेश मे बाल अपराध की समस्या उग्र रूप धारण करती है
बाल अपराधी विशेषज्ञ सेरिल बर्ट का कहना है। कि बालकों का सरलताऊके व्यवहार एक सार्वभौमिक घटना है

बाल अपराध का और अर्थ एवं परिभाषा –
आयु की दृष्टि से बालक अपराधी के कम आयु का अपराधी माना जाता है।
समान्यत: 7 वर्ष से 16 या 18 वर्ष के बीच के या जैसा उस देश व राज्य के कानून मे हो जैसे– भगोड़ापन – अवारागर्दी – अनैतिकता आदि बाल अपराधी की परिभाषा मे आते है
एम. जे. सेथना – के अनुसार बाल अपराध के अन्तर्गत एक राज्य विशेष है।
एम एच न्यूमेयर – के शब्दो मे एक बाल अपराधी निर्धारित आयु से कम आयु वह व्यक्ति है। जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है। प्रसिद्ध सामाजिक विचारक डा सेथना महोदय ने बाल अपराध की परिभाषा करते हुए लिखा है। कि वे बालक अथवा युवा व्यक्ति द्वारा किये गये अनुचित कार्य शामिल है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य देश बाल अपराधियों की न्युनतम और अधिकतम आयु निश्चित करता है। भारतीय विधान की धारा 83 के अनुसार 7 वर्ष से अधिक

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

और 12 वर्ष से कम आयु वाले अच्छे बुरे का ख्याल न रखने वाले ना समझ बालको को अपराधी नही मानी जा सकती है। 1957 ई० को रिफार्मेटरी स्कूल अधिनियम के अनुसार बाल अपराधियों की आयु 15 वर्ष निश्चित की गयी है। अधिकतम आयु 17 वर्ष मानी जाती है।

सिरिल बर्ट- का कहना है कि बालक का व्यवहार तब अपराधी बनता है। जब उसकी विरोध प्रवृतियां इतनी गंम्भीर हो जाती है।

राबिन्सन- बाल अपराधी की परिभाषा निर्धारित आयु से कम आयु वाला वह व्यक्ति है। जो समाज विरोधी कार्य करने का दोषी है। जिसका दुराचार कानून का उल्लघंन है। यथा अवारागर्दी, भिक्षावृति गलत आचरण बुरे इरादे से शैतानी करना और अनियन्त्रित व्यवहार अर्थात उदण्डता।

इलियट और मैरिल के अनुसार बाल अपराधी वह व्यक्ति होता है। जो समाज विरोधी व्यवहार करता है।

लैंडर - ने लिखा है। एक बाल अपराधी ऐसा व्यक्ति है। जिनकी समाज के प्रति मनोवृतियां ऐसा होना चाहिए

जे.पी. गिलिन एवं जे. एल गिलिन के शब्दों में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बाल अपराधी वह है। जो ऐसे कार्य का जिसे समाज के लिए हानिकारक होने के कारण निश्चित है।

विलियम हीली — के अनुसार जो बालक व्यवहार के सामाजिक नियमों का उल्लघंन करता है।

मावरर — का कहना है। कि बालक अपराधी वह व्यक्ति है। है। जो जान बुझ कर इरादा

Date: / /

के साथ चेतन रूप से समाज की रूढ़ियों का उल्लंघन करता है।

बालक अपराध के कारण

बाल अपराध के प्रमुख कारण निम्नलिखित

(1) शारीरिक एवं जैविकीय कारण

मास्तिष्क मे चोट या रोग स्नायुमण्डल या स्वचालित नाड़ी व्यवस्था मे विकार शारीरिक रोग या शरीर के किसी अंग मे विकार ये सब चीजे कारण बालको को अपराध करने मे बहुत सहायक होती है। जिनमे बच्चो मे समाज विरोधी तोड़ फोड़ और विनाशकारी प्रवृतियां बढ़ती है।

(2) पारिवारिक कारण – परिवार बालक के शिक्षण प्रशिक्षण की प्रथम संस्था है। परिवार के ऊपर ही बालक के बिगड़ने और बनने का प्रश्न निर्भर रहता है परिवार से बालक को न केवल जैविक बल्कि सांस्कृतिक गुण भी उत्तराधिकार मे मिलती है। माता पिता की स्नेहमयी छत्रछाया मे बालक ऐसा अनुभव करे कि उसके माता पिता उससे वस्तुत: करते है

(3) मनोवैज्ञानिक कारण – शारीरिक तथा पारिवारिक अथवा पर्यावरण सम्बधी कारको के अतिरिक्त कुछ अन्य कारण है कि शारिरिक कारणो मे स्नायुमण्डल सम्बनधी रोग तथा शरीर की विकलांगता आदि आते है और पारिवारिक कारण मे परिवार पड़ोस और स्कुल के प्रभाव आदि का काम हम अध्ययन करते है।

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

लेकिन इन सबके विपरीत मनोवैज्ञानिक कारणो मे मानसिक योग्यता के निम्न स्तर का होना आज मनोविज्ञानिक कारणो लोग यह स्वीकार करने लगे है।

हीली तथा ब्रोनर ~~कहते~~ कहते है कि बालक मनोवैज्ञानिक अवश्यकताओ की पुर्ती नही हो पाने के कारण ही अपराध के स्त्रोत मे बहता है।

केन्टोर – लिखते है। कि अधिकतर ममलो मे बाल अपराध एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक अवश्यकताओ का उतर है।

④ अश्लील साहित्य का प्रभाव –
कामोतेजक और अश्लील साहित्य नव युवको मे यौन सम्बधी अपराधो के लिए उत्तरदायी है। इसका प्रभाव लड़कियो पर भी बहुत खराब पड़ता है। नवयुवक इन्हे मनोरंजनार्थ खरीदते है। और घर पर चोरी से पढ़ते है। जिनका मास्तिष्क और ~~ह्रदय~~ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ऐसी पुस्तको से नवयुवक व बालक अनेक दुर्व्यसनो के शिकार हो जाते है। इसका स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। शक्ति के नष्ट हो जाने से मनुष्य की मास्तिस्क मे उतेजना और विकृति भर जाती है। बात बात मे लड़ना झगड़ना और मार पीट करना। इसके अतिरिक्त वे गुप्त रोग के भी शिकार हो जाते है।

⑤ शिक्षा का प्रभाव – यह अभी भी विवाद ग्रस्त है। कुछ लोगो का मत है। कि अशिक्षित नवयुवक अधिक अपराध और समाज विरोधी कार्य करते है। शिक्षित लोग अधिक अपराध करते है।

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

आर्थिक कारण –
जोस – ने कहा है। व्यक्ति जो कुछ कह सकता है। बस यही कि आर्थिक स्तर जितना निम्न स्तर होगा बाल अपराध का प्रतिशत उतना ही ऊँचा होगा
आर्थिक कारणों में निर्धनता बेकारी व्यावसायिक चक्र आदि प्रमुख है। अभाव ग्रस्त तथा भूख से पीड़ित मनुष्य के अन्दर नैतिकता अनैतिकता कर्म कुकर्म आदि के बारे में सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती
बोगर के मतानुसार अपराध का कारण निर्धनता को। अपराध का प्रमुख कारण नहीं मानते
टप्पन – ने भी यह संकेत किया है। कि बालक सर्वप्रथम अपराध निर्धनता अथवा आर्थिक प्रभाव के कारण नहीं करता वरन् अधिकतर ईर्ष्या, मजाक या बदले की भावना से करता है।

वाल आपराधियों का सुधार अथवा उपचार
मनोवैज्ञानिक विधि – इस विधि का मर्म यह है। कि बालक के अपराध के स्वरूप का विश्लेषण करके उसका अध्ययन किया जाय और उसके कारणों के जानकर उसका इलाज या उपचार किया जाय
नान डायरेक्टिव तकनीक – इस तकनीक के जन्मदाता रोजर्स है। इस विधी के अन्तर्गत मनोवैज्ञानिक चिकित्सक

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया

Date: / /

अपराधी बालक को लेकर एक कमरे मे बैठ जाता इसके बाद वह उससे मिठी मीठी बाते करके उसके हृदय मे अपने प्रति प्रेम उपजाता है। मनोवैज्ञानिक बहुत सम्भलकर प्रश्न करता है। प्रश्न बहुत कम किये जाते है। इस नान डायरेक्टिव तकनीक इसलिए कहते है। कि इसमे मनोवैज्ञानिक कोई निर्देश नही देता वह केवल निष्क्रिय श्रोता की भाति अपराधी की कही बाते सुन लेता है।

मनोविश्लेषण विधी- अचेतन मन की दबी हुई इच्छाओ को खोजकर उसके द्वारा उत्पन्न गड़बड़ी जो बालक के व्यवहार मे अपराध के रुप मे दिखाई देती है।

प्रोबेशन - इस बिधी मे 18 वर्ष से कम आयु वाले किशोरो को ही शामिल किया जाता है। इन्हे न्यायालय द्वारा दण्डित न करके एक प्रोबेशन अफसर की देख रेख मे रख दिया जाता है। यह अफसर किशोरो के उनके माता पिता के घर पर ही अपने संरक्षण मे रखता है। और सुधारने का प्रयास करता है।

सुधारगृह - सुधार गृहो मे बाल अपराधियो का सुधार उद्योग धन्धो के माध्यम से किया जाता है। काम मे लग जाने से उनकी शक्तियां का सदुपयोग होने लगता है। और अपराध की ओर से उनका ध्यान हट जाता है

किशोर न्यायालय - इसमे न तो वकील होते है और न वहस होती है। न्यायधीश जिसमे स्त्रियां भी होती है। अपराधी बालको की साथ स्नेह प्रेम वात्सल्य के साथ व्यवहार करते हुए मनोवैज्ञानिक ढंग से पहले उनके अपराध के कारणो के समझने की प्रयास करते है

प्राचार्य
मीरा मेमोरियल महाविद्यालय
शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान
पाण्डेयपुर, ताखा, बलिया
07/09/2020